मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता मे दिनांक 10–01–08 को "बायो इनर्जी मिशन सेल" की आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 10–01–2008 को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में बायो इनर्जी मिशन सेल की बैठक आयोजित हुई, जिसमें निम्नलिखित प्रतिभागियों ने भाग लिया :

सर्वश्री :

1– डा0 अनीस अंसारी, कृषि उत्पादन आयुक्त,, उत्तर प्रदेश शासन।
2– वी0 वेंकटाचलम, प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3– ए0के0 जोशी, प्रमुख सचिव, उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4– रोहित नन्दन, प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5– डी0एस0 श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव, पंचायती राज, शासन प्रदेश शासन।
6– ए0के0 बंसल, अधिशासी निदेशक, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0, मुम्बई ।
7– डा0 एच0एम0 बहल, पूर्व निदेशक, एन0बी0आर0आई0, लखनऊ।
8– राजेन्द्र सिंह, निदेशक, उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश , लखनऊ।
9– डा0 राणा प्रताप सिंह, संयुक्त निदेशक, उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10– पी0एस0 ओझा, राज्य समन्वयक, बायो इनर्जी मिशन सेल, नियोजन विभाग, उ0प्र0शासन।

बैठक में सर्वप्रथम प्रमुख सचिव, नियोजन ने दिनांक 6–8–07 को मा0 मंत्रिमण्डलीय सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में तथा दिनांक 10–09–07 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में जेट्रोफा के विकास से अवगत कराया । उसी क्रम में पूर्व निदेशक, एन0बी0आर0आई0, लखनऊ ने जेट्रोफा के सम्बन्ध में विस्तार से सदस्यों को अवगत कराया तथा यह भी अवगत कराया कि जेट्रोफा प्लाण्टेशन अभी किस श्रेणी के अन्तर्गत आयेगा जैसे कृषि, वन या उद्यान की श्रेणी में । इस सम्बन्ध में भारत सरकार से सम्बन्धित मंत्रालय से क्लासीफिकेशन प्राप्त करना उपयुक्त होगा। जेट्रोफा वृक्षारोपण सर्वप्रथम राजस्थान में शुरू किया गया था। वर्तमान में यह आन्ध्र प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में चल रही है। उत्तर प्रदेश में यह छुटपुट रूप से किसानें/स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा इसका शुभारम्भ किया गया है। अगर यह जेट्रोफा कार्ययोजना का आरम्भ प्रदेश में किया जाता है तो प्रदेश में इसके विकास की अपार सम्भावायें है । प्रदेश में इस समय काफी मात्रा मे बेकार पड़ी भूमि ऊसर/बंजर/परती/कृषि हेतु अनुपयोगी भूमि पर इसका वृक्षारोपण किया जा सकता है। इस कार्य योजना के शुरू होने से प्रथम फेज में प्रदेश के 10 लाख एकड़ भूमि पर वृक्षारोपण किया जा सकता हे तथा इसमें 4 लाख बेरोजगार युवकों/युवतियों को पूर्ण कालिक/अंशकालिक स्वरोजगार उपलब्ध हो सकेगा। इस कार्य में सहयोग देने के लिए भारत सरकार के अधीनस्थ तेल कम्पनियां जैसे भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0, अपने जे0वी0 पार्टनर्स के साथ तैयार है। वर्तमान में आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत जेट्रोफा का कार्य वृहत स्तर पर किया जा रहा है। उसी पैटर्न पर उत्तर प्रदेश में इसे लागू करने की योजना

प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में यह पुष्टि नहीं हो सकी कि आन्ध्र प्रदेश में जेट्रोफा प्लाण्टेशन का व्यय प्रदेश सरकार द्वारा वहन की जाती है अथवा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत । ग्राम सभा की जमीन पर जेट्रोफा प्लाण्टेशन राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत हो सकता है। जहॉ तक निजी जमीन में प्लाण्टेशन का प्रश्न है, इस योजना में केवल हार्टीकल्चर प्लाण्टेशन पर व्यय अनुमन्य है। इस पर भारत सरकार में पुष्टि करा लिया जाय क्या जेट्रोफा को हार्टीकल्चर प्लाण्ट माना जा सकता है? इस कार्य हेतुं प्रदेश में ग्राम सभा/पंचायतों के पास काफी भूमि उपलब्ध हो सकती है।

भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 के अधिशासी निदेशक ने प्रस्तावित Joint Venture Business Model को प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि उनकी कम्पनी अपनी सहयोगी कम्पनियों के साथ मिलकर प्रदेश में लगभग रूपये 2134 करोड़ का निवेश करने जा रही है। इसके सापेक्ष लगभग 10 लाख एकड़ भूमि पर जेट्रोफा की गतिविधियॉ संचालित होंगी। भविष्य में इसे 25 लाख एकड़ तक विस्तारित किया जायगा। जिससे लगभग 20 लाख लोगों को पूर्णकालिक स्थायी रोजगार प्राप्त होने की सम्भावना है। प्रथम चरण में जेट्रोफा का प्लाण्टेशन ग्राम सभा की जमीन पर किया जाय ताकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना का पूरा लाभ प्राप्त किया जा सके।

कृषि उत्पादन आयुक्त ने जानकारी चाही कि जेट्रोफा की खेती के लिए वर्षवार क्या प्रोग्राम है? पंचायतों के पास जेट्रोफा/करन्ज रोपण हेतु उपलब्ध जमीन 10 लाख एकड़ है या नहीं इसकी पुष्टि कर ली जाये। चयनित भूमि पूर्णतया कृषि कार्य हेतु अनुपयोगी हो, इसकी पुष्टि करा लिया जाय। ऐसी भूमि पर ही जेट्रोफा का प्लाण्टेशन होना चाहिए न कि कृषि योग्य भूमि पर।

जेट्रोफा/कंरज की खेती के लिए शुरू में तीन वर्ष तक कम्यूनिटी लेण्ड पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत संसाधन उपलब्ध कराया जा सकता है। ग्राम्य विकास के प्रमुख सचिव ने इस बाबत अपनी सहमति भी प्रदान की।

मुख्य सचिव महोदय ने निम्न निर्देश दिए :

1— पंचायत के अधीन ऊसर/परती/बंजर भूमि पर ही जेट्रोफा/करंज तथा अन्य अनुकूल प्रजाति वक्ष का वृक्षारोपण किया जाय।

2— ग्राम सभा/पंचायत का बी0पी0सी0एल0 की सहयोगी कम्पनी के साथ आपसी समझौता होगा समझौता का प्रारूप तय कर लिया जाय।

3— ग्राम सभा/पंचायत को क्या वित्तीय लाभ होगा इसका अनुमान स्पष्ट किया जाय।

4— कम्यूनिटी भूमि पर प्लाण्टेशन का कार्य कौन करेगा यह स्पष्ट कर लिया जाय। वाच एण्ड वार्ड की भी पूरी व्यवस्था सुनिश्चित होना चाहिए।

5— वृक्षारोपण के उपरान्त अनुरक्षण कार्य किस प्रकार किया जायगा। यह भी स्पष्ट रूप से तय होना चाहिए।

6— इस पूरे कार्य योजना का प्रबन्धन कैसे होगा तथा जो लोग इसमें कार्य करेगे उनको भुगतान कैसे किया जायेगा । यह भी स्पष्ठ होना चाहिए।

7— ग्राम सभा की जमीन पर वृक्षारोपण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना से लिया जाय। जेट्रोफा की सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था हेतु हैण्ड पम्प/पानी एकत्र करने हेतु टैंक इसी योजनान्तर्गत बनाया जा सकता है।

10— जेट्रोफा की खेती के लिए बीज की व्यवस्था किस प्रकार किया जायगा। यह भी स्पष्ट रूप से स्कीम में आ जाना चाहिए।

11— कार्बन क्रेडिट का लाभ भी गांव सभा को मिलना चाहिए।

विस्तृत चर्चा के बाद बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए :

1— जेट्रोफा से सम्बन्धित विजनेस माडल प्लान तैयार कर उसे कैबिनेट के समक्ष रखा जाय तथा उसका अनुमोदन प्राप्त किया जायें।

2— ग्राम सभा/पंचायतों की भूमि के प्रयोग हेतु बी0पी0सी0एल0 के सहयोगी कम्पनी तथा पंचायतों के बीच अनुबन्ध किया जाय। उसका आलेख्य तैयार कर उस पर कम्पनी के प्रतिनिधि की सहमति लेकर न्याय विभाग को भेज कर उनकी सहमति भी प्राप्त कर ली जाये। राजस्व तथा वित्त विभाग का भी परामर्श ले लिया जाय।

3— भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 से लिखित समझौता शर्ते लेकर उसे भी माननीय मंत्रिमण्डल के समक्ष रखा जाये।

4— जेट्रोफा की खेती के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना से बीज की व्यवस्था, जेट्रोफा वृक्षारोपण एवं अनुरक्षण का वित्त पोषण किया जाय।

5— जेट्रोफा की फसल तैयार होने पर कम्पनी सीधे किसान/पंचायत से क्रय करेगी। बीज का मूल्य निर्धारण शासन द्वारा किया जायगा।

6— प्लाण्टेशन से प्राप्त होने वाले कार्बन क्रेडिट का लाभ पंचायत को दिया जाय।

7— भारत पेट्रोलियम के ज्वाइण्ट वेन्चर कम्पनी को इस सम्बन्ध में सहमति नान—एक्सक्लूसिव क्लाज के साथ दी जायेगी।

8— कैबिनेट से प्रस्ताव पास हो जाने के बाद भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 को सहमति पत्र दिया जाय। कैबिनेट को प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु बायो इनर्जी मिशन सेल, नियोजन विभाग को निर्देशित किया गया।

पी0के0 मिश्र
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या 349 **/बा0इ0मि0से0/08 दिनांक** 21-1-08

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1— समस्त सम्बन्धित प्रतिभागी ।
2— निजी सचिव (मुख्य सचिव),उत्तर प्रदेश शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3— निजी सचिव (मा0 मंत्रिमण्डलीय सचिव) उत्तर प्रदेश शासन को मा0 मंत्रिमण्डलीय सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4— डा0 नवनीत सहगल, सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।

(वी0 वेंकटाचलम)
प्रमुख सचिव, नियोजन,
उत्तर प्रदेश शासन।